राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे एल एन मार्ग, जयपुर–302015,राजस्थान
वेब साईटः–http.@hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेल– hrd.cce@gmail.com फोन नम्बर– 0141– 2705471(o)

क्रमांकः– एफ1(609)स्था/निकाशि/07/ई–07174 दिनांकः

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
एवं समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा।

विषयः– पीएच.डी. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके कार्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को पीएच.डी. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र (विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड किया हुआ) में पूरा भरा हुआ आवेदन प्राप्त कर, समस्त प्राचार्य निम्न विभागीय शर्तो एवं संलग्न प्रारूप में उल्लेखित शर्तो के अनुसार तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों एवं अन्य गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करें :–

1. स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. अध्यापन एवं अन्य राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
3. इस हेतु आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य अपने स्तर पर पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित करेगें तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पंजिका में संलग्न कर एवं एक प्रति विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

<u>उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Bhati
Designation : Additional Commissioner
Date: 2024.12.20 21:08:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12395455

कार्यालय प्राचार्य —————————————————————

——————————————————————————————————

क्रमांकः— दिनांक :—

कार्यालय आदेश

श्री —————————————— (आवेदक का नाम)—————————— पदनाम ——————————— (महाविद्यालय का नाम) को उनके आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ——————————————————— —————(विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम) से पीएच.डी. करने हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मापदण्ड और प्रक्रिया) विनियम—2022 एवं निम्नलिखित विभागीय शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः—

1. स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. अध्यापन एवं अन्य राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
3. इस हेतु आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।
4. इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
5. जिस विश्वविद्यालय/संस्थान हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया केवल उसी विश्वविद्यालय/संस्थान से पीएच.डी करने हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
6. आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का मिथ्या तथ्य पाये जाने पर, पीएच.डी शोध कार्य की अनापत्ति निरस्त कर दी जावेगी।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के राजकाज आदेश क्रमांक ———————— दिनांक ——————— के द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्त्ता अनापत्ति जारी करने हेतु प्राधिकृत है।

प्राचार्य